RBE No. 121/2013

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No.E(NG)I-99/CFP/23(Vol.II)

New Delhi, dated 14.11.2013

The General Managers (P)
All Indian Railways and
Production Units
(As per standard list).

Sub: - Induction of Trackmen into other departments- Revision of age limit- Regarding.

Reference this Ministry's letter of even number dated 02.08.2012 reducing the lower age limit for induction of Trackmen in PB-1 Rs.5200-20200 GP Rs. 1800 to Workshops, Traffic and Commercial departments against 10% quota with 50% seniority and against 40% quota on bottom seniority from 45 years to 40 years. It was also decided that the matter will be reviewed after 06 months.

2. In the light of the above developments, the matter has again been considered by the Board. It has been decided that the lower age limit, as contained in Para 179 (XV) of IREM Vol.I(Revised Edition-1989) First Re-print Edition-2009, for induction of Trackmen in PB-1 Rs. 5200-20200 GP Rs. 1800 for transfer to Workshops, Traffic and Commercial departments against 10% quota with 50% seniority may be reduced from 40 years to 38 years and against 40% quota on bottom seniority, it may be reduced from 40 years to 33 years. Other terms and conditions of transfer of Trackmen to the above departments against both the quotas remain unaltered.

3. The Railways should fill up the vacant posts of Trackmen annually and regularly as per the time schedule contained in Board's letter No.E(NG)II-2007/RR-1/58 dated 08.12.2011 and actual release may be regulated by zonal Railways as per vacancy position.

Please acknowledge receipt

(M.K.Meena)
Deputy Director Estt. (N)
Railway Board

आरबीई सं.।२।/2013

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई(एनजी)I-99/सीएफपी/23 (वॉल्यूम-II) नई दिल्ली, दिनांक 14.11.2013

महाप्रबंधक (पी)
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(मानक सूची के अनुसार)

विषय:- अन्य विभागों में ट्रैकमेनों के प्रवेश के लिए आयु-सीमा में संशोधन करने के संबंध में।

इस मंत्रालय के दिनांक 02.08.2012 के समसंख्यक पत्र का अवलोकन करें जिसमें 50% वरिष्ठता के साथ 10% कोटा और निम्नतम वरिष्ठता के साथ 40% कोटा के तहत वर्कशॉप, यातायात एवं वाणिज्य विभागों में पे बैंड - I रु. 5200-20200, ग्रेड वेतन रु. 1800 में ट्रैकमेन को रखने के लिए न्यूनतम आयु-सीमा को 45 वर्ष से घटाकर 40 वर्ष कर दिया गया था। यह भी विनिश्चय किया गया था कि इस मामले की 06 माह के बाद समीक्षा की जाएगी।

2. उपर्युक्त संशोधनों के आलोक में इस मामले पर बोर्ड द्वारा फिर से विचार किया गया है और यह विनिश्चय किया गया है कि आईआरईएम वॉल्यूम-I (संशोधित संस्करण-1989), प्रथम पुनर्मुद्रण संस्करण-2009 के पैरा 179 (XV) में यथा अन्तर्विष्ट न्यूनतम आयु सीमा, वर्कशॉप, यातायात एवं वाणिज्य विभागों में पीबी-I रुपए 5200-20200, ग्रेड वेतन रु. 1800 में ट्रैकमेन को रखने के लिए 50% वरिष्ठता के साथ 10% कोटा के लिए 40 वर्ष से घटाकर 38 वर्ष और निम्नतम वरिष्ठता के साथ 40% कोटा के लिए 40 वर्ष से घटाकर 33 वर्ष कर दिया जाए। उपर्युक्त विभागों में दोनों कोटा के तहत ट्रैकमेन के स्थानांतरण के लिए अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

3. रेलों को ट्रैकमेन के खाली पदों को बोर्ड के दिनांक 08.12.2011 के पत्र सं. ई(एनजी)II-2007/आरआर-1/58 में अन्तर्विष्ट समय-अनुसूची के अनुसार प्रत्येक वर्ष और नियमित रूप से भरना चाहिए और क्षेत्रीय रेलों द्वारा उन्हें वस्तुतः रिक्तियों की स्थिति के अनुसार कार्यभार से मुक्त किया जाना चाहिए।

कृपया पावती दें।

(एम. के. मीना)
उप निदेशक स्था(अराज़.)
रेलवे बोर्ड